न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

उनवानः— सरकार **बनाम** धन्ना

मु0नं0 28 / 17 तारीख रजू 06.07.17 किस्म प्रार्थना पत्र 14 (4)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.07.2019	पत्रावली पेश हुयी। वकील पेरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा अप्रार्थी धन्ना पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी कीरपुरा तहसील सवाई माधोपुर के विरूद्व आवंटन निरस्तीकरण हेतु पेश किया गया। जिसमें अंकित किया गया है कि ग्राम कीरपुरा के आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 5 बीघा का आवंटन अप्रार्थी धन्ना पुत्र भूरा जाति बैरवा को दिनांक 14.10.1975 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। जिसमें यह तथ्य अंकित किये गये है कि आवंटी स्वंय द्वारा आवंटित भूमि को कभी काश्त नहीं किया गया है तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयो है। प्रकरण माननीय जिला कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर से स्थानान्तरण होकर वास्ते सुनवाई अदालत हाजा को प्राप्त हुआ है। प्रकरण में अप्रार्थी को ग्राम कीरपुरा में बार—बार नोटिस जारी कर वास्ते सुनवाई हेतु तलब किया गया किन्तु अप्रार्थी की तामील नही हो सकी। तद्उपरान्त तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अप्रार्थी के सही पते की जानकारी हेतु कई बार पत्र व्यवहार किया गया। किन्तु तहसीलदार सवाई माधोपुर के यहॉ से सही पते की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर को अप्रार्थी के सही पते की जानकारी कर एवं दिनांक 14.10.75 के आवंटन की नलक प्राप्त कर पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण लोटाया जाता है। प्रकरण नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	